राजनीतिक तिलिस्मों पर फतह का महायज्ञ

जासूस बादशाह

www.picmp.com

आरएनआई निबंधन संख्या-एमपीएचआईएन /1999 /4107

डाक पंजीयन-मप्र /भोपाल /371 /18-20

वर्ष-19,अंक-30(चौबीस सालों से प्रकाशित) भोपाल, मंगलवार 14 अगस्त 2018 पेज-8,मूल्य पांच रुपया

अदालतों में भ्रष्टाचार का अंत

भोपाल जिला बार एसोसिएशन ने स्वाधीनता दिवस पर दी सौगात

भोपाल,15 अगस्त। भोपाल जिला बार एसोसिएशन ने जिले के लोगों को स्वाधीनता दिवस की बड़ी सौगात दी है। उसने घोषणा की है कि आज से जिले की अदालतों में भ्रष्टाचार नहीं होगा। किसी भी प्रकार के गैरकानूनी लेनदेन की शिकायत यदि मिलती है तो बार एसोसिएशन उस आपराधिक कृत्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में शिकायत दर्ज कराएगा। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश व्यास राज्य की एडवोकेट एनरोलमेंट कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। जबलपुर हाईकोर्ट के दायरे में चलने वाली ये संस्था संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इस लिहाज से राजेश व्यास की राय प्रदेश की समूची न्यायपालिका की आत्मा की आवाज मानी जा सकती है। खुद राजेश व्यास कहते हैं कि उनकी ये राय एक दिन में नहीं बनी है। वे लंबे समय से प्रदेश भर के पीठासीन जजों, बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों,सदस्यों,वरिष्ठ अधिवक्ताओं, न्यायिक कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों, कर्मचारियों, वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ताओं, कोर्ट मुंशियों, थाने के मुंशियों ,चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से चर्चा करते रहे हैं। सभी इस घृणित परंपरा को पसंद नहीं करते हैं। इसके बावजूद बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। इस मुद्दे पर कोई बोलने की पहल नहीं करता है। इसलिए अदालतों की गरिमा रोज खंडित होती रहती है और न्याय देने दिलाने का काम आम जनता से दूर होता जाता है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की मौजूदगी में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश व्यास ने भ्रष्टाचार रोकने का संकल्प दिलाया

राजेश व्यास कहते हैं कि ये बात सही है कि मंहगाई के इस दौर में किसी अनजान पक्ष के लिए न्याय दिलाने की लंबी जद्दोजहद बहुत खर्चीली होती है। यदि भ्रष्टाचार का सामना न भी करना पड़े तब भी पक्षकार को दर दर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। ऐसे में लोग अदालत की चौखट चढ़ने को भी अपने पूर्व कर्मों का पाप मानने लगते हैं। यही वजह है कि सभी के बीच संवाद के दौरान उनके मन में भ्रष्टाचार मुक्त अदालतों का विचार आया। उनका कहना है कि लोगों के बीच से न्यायपालिका को लेकर बना संशय दूर होने से समूची न्यायप्रक्रिया से जुड़े लोगों को सिर ऊंचा करके चलने का अवसर मिलेगा।

भ्रष्टाचार की फरियाद लेकर पहुंचे पीड़ितों को बार एसोसिएशन के प्रयासों से अदालत परिसर में ही त्वरित न्याय दिलाया गया।

वे कहते हैं कि जिस तरह अदालतों का कामकाज तेजी से कंप्यूटरीकृत होता जा रहा है ऐसे माहौल में किसी पक्षकार का काम केवल इसलिए टरकाया जाए कि उससे रिश्वत वसूलनी है तो ये बड़ा गंभीर अपराध है। देश भर की अदालतों में जब लंबित प्रकरणों को निपटाने की तेजी अपनाई जा रही है ऐसे माहौल में वकीलों का काम सरल बनाने के लिए जरूरी है कि समूचा कामकाज पारदर्शी बनाया जाए। अब जबकि नोटबंदी के बाद लेनदेन का काम भी लोग मोबाईल एप से करने लगे हैं तब वकीलों की भागदौड़ घटाने के लिए भी जरूरी है कि न्याय प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।

राजेश व्यास ने झंडावंदन के बाद अध्यक्षीय उद्बोधन में जब ये बात कही तो वकीलों ने इसका भरपूर स्वागत किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र शुक्ला ने भी उनकी बात का समर्थन करके इस राय पर अपना निर्णय सुना दिया। उन्होंने कहा कि ये सराहनीय पहल है और पूरी न्यायपालिका की ओर से वे इस फैसले का स्वागत करते हैं। ये राय इस संवैधानिक स्तंभ से जुड़े लोगों के बीच व्यापक विमर्श से निकली है इसलिए अदालतों में इसे लागू कराने के लिए कोई सख्ती की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

राजेश व्यास ने कहा कि लोगों को सस्ता त्वरित और सुलभ न्याय दिलाना आज इसलिए भी जरूरी हो गया है कि देश विकास के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। यदि हम लोगों को कानूनी पचड़ों में ही उलझाए रहेंगे तो पड़ौसी देशों या विश्व के देशों से विकास के पैमाने पर कभी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उनका मानना है कि लोगों को सुलभ न्याय मिले और वकीलों को उन्हें न्याय दिलाने के लिए अनावश्यक परेशान न होने पड़े इसे देखते हुए ही उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस नैतिक गंदगी का पुरजोर विरोध किया जाए।

वरिष्ठ अधिवक्ता सी.एस. शर्मा कहते हैं कि इस फैसले से न्यायपालिका की गरिमा बढ़ेगी। अदालतों और जनता के बीच करीबी बढ़ने से ज्यादा लोग अदालतों के माध्यम से अपने फैसले करवा सकेंगे।जिस तरह पारिवारिक मामले अदालतों में अधिक आने लगे हैं उन्हें देखते हुए अदालतों को लोगों की मित्र बनाना जरूरी है। अदालत का कामकाज सुगम हो तो ज्यादा लोग अदालतों के माध्यम से कानून का राज कायम कर सकेंगे। विकास की गति तेज करने की दिशा में ये कदम मील का पत्थर साबित होगा। उनका कहना है कि इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए।

एडवोकेट श्रीमती सुनीता राजपूत ने कहा कि अदालत की चौखटों पर पहुंचने वाले आम नागरिकों के हितों की रक्षा में ये नई परिपाटी ऐतिहासिक साबित होगी। उन्होंने कहा कि न्याय प्रक्रिया का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाने में वकीलों की बड़ी भूमिका होती है। अदालतों में बढ़ने वाले अनावश्यक खर्चों से डरकर बहुत से लोग न्याय से वंचित रह जाते हैं। अब जब अदालतों का कामकाज जनता के ज्यादा करीब होगा तो इससे ज्यादा लोग अदालत पहुंचेंगे और न्यायपालिका की गरिमा बढ़ेगी। न्याय का भरोसा समाज को भयमुक्त माहौल भी देगा।

9893355246
8964090155
07554726053
Royal Sun Palace
HOTEL
153, Zone-II M.P. Nagar Near Hanuman Mandir, Bhopal (M.P.)
E-mail:- royalsunpalace@gmail.com

राजनीतिक तिलिस्मों पर फतह का महायज्ञ
नायक
बादशाह
भोपाल, मंगलवार 14 अगस्त 2018

सरकारी योजनाओं से दिल छूने का जादू

आजादी के बाद पहली बार केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं ने जनता को अहसास कराया है कि सरकार से उसका नाता क्या है। भारी भ्रष्टाचार में डूबी व्यवस्था के बीच हितग्राहियों तक योजनाओं की राशि पहुंच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस के नेताओं को अब भी भरोसा नहीं हो पा रहा है कि सरकार ने ये काम कैसे कर दिखाया। उसके नेता तो मानते हैं कि सरकारी नौकरियों में बैठे भ्रष्ट अफसरों के बीच ये संभव ही नहीं है कि जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाए। इसकी वजह साफ है उन्होंने ही सरकारी नौकरियां बेचकर इस भ्रष्ट व्यवस्था को आकार दिया था। ऐसी स्थिति निर्मित की जिससे सरकारी धन जनता तक पहुंचना संभव ही नहीं रहा। आज भी वही व्यवस्था है। सरकारी बजट को उलीचने के वही गलीज तरीके अपनाए जाते हैं। इसके बावजूद हितग्राहियों के खातों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की व्यवस्था ने दलालों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। कांग्रेस ने जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी उसका सबसे अधिक दुरुपयोग कांग्रेस के अपदस्थ मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया। पहले तो अपने भाई लक्ष्मण सिंह को भाजपा में भेजकर उन्होंने अपने खिलाफ बने जनआक्रोश को शांत करने का प्रयास किया। इस रणनीति में वे कामयाब भी रहे। भाजपा सरकार ने जनादेश को अनदेखा करके उन्हें जेल नहीं भेजा। इसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों को पूर्व संगठन महामंत्री कप्तानसिंह सोलंकी के माध्यम से भाजपा में भिजवा दिया। उनके यही समर्थक सरकार की योजनाओं को भ्रष्टाचार से ठिकाने लगाने लगे। जब तक शिवराज सिंह कुछ समझ पाते तब तक उन्होंने सरकार के बजट का खूब दोहन कर लिया। सरकार ने अपने सख्त आला अफसर राधेश्याम जुलानिया के हाथों जब ये कमान दी तो उन्होंने इस गद्दारी पर अंकुश लगाया। सरकार ने हितग्राहियों को सीधे खाते में योजना राशि पहुंचाने की तकनीकी क्रांति का सहारा लेकर पहली बार विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सफलता पाई है। यही वजह है कि प्रदेश भर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। अपने पूरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह जनता के बीच भागते दौड़ते रहे उसका भी व्यापक असर देखने मिल रहा है। लोग उनकी प्रशासनिक शैली की कितनी भी आलोचना करें पर जनता से सीधा जुड़ाव उनके खाते में जा रहा है। यही नहीं पाटी के भीतर भी शिवराज फिलहाल अपरिहार्य बने हुए हैं। जनता के बीच विद्रोह को रोकने में वे काफी हद तक सफल भी हुए हैं। विपक्षी उन्हें घोषणावीर मुख्यमंत्री कहकर अपनी खीज निकालते हैं लेकिन वे भी ये अच्छी तरह जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार शासन में जनता की सीधी भागीदारी बढ़ाने में सफल रही है। ये बात सही है कि वो भी उत्पादकता का कोई नया तंत्र शुरु नहीं कर पाई है। इसके बावजूद उसने कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति की उससे आम नागरिकों के पास तक धन पहुंचा है। प्रदेश की समृद्धि बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने सरकारी खजाने का द्वार आम नागरिकों के लिए भी खोल दिया। नतीजतन जनता की अपेक्षाएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। लोगों को लगता है कि बिजली बिलों में माफी, स्वास्थ्य सुविधाओं, सड़कों का जाल, बिजली की उपलब्धता बढ़ने से उनका जीवन सरल हुआ है। लोगों के जीवन में खुशियां लाकर सरकार ने जनता के बीच अपनी जगह बनाई है। ये नहीं कहा जा सकता कि ये प्रयास काफी है। अभी सभी क्षेत्रों में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसके बावजूद शिवराज सिंह सरकार लोगों के दिलों में कांग्रेस के स्थान पर भाजपा को स्थापित करने में सफल रही है।

नरसिम्हाराव को तजकर कांग्रेस ने खोया गौरव

ए के भट्टाचार्य

नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम संस्कार का जिस व्यापक एवं वृहद स्तर पर आयोजन किया उसने दूसरे पूर्व प्रधानमंत्रियों के निधन पर किए गए इंतजामों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। गत 16 अगस्त को निधन के बाद वाजपेयी का पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ नई दिल्ली में अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले दिवंगत हुए तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों को इस तरह का सम्मान नहीं मिला था। केवल तीन प्रधानमंत्री ही ऐसे रहे

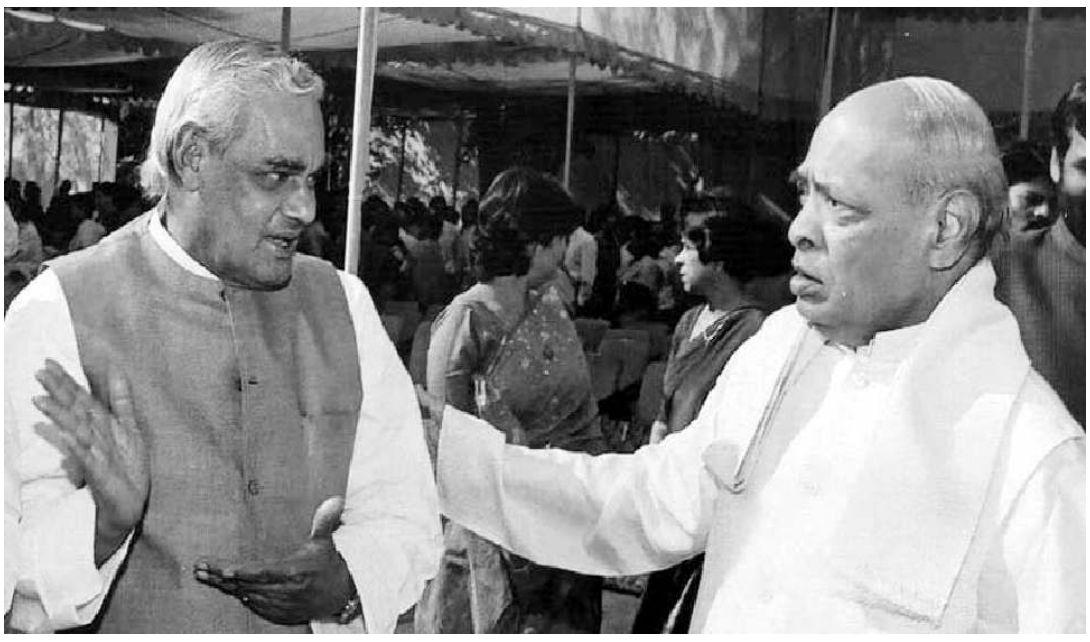

हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। वर्ष 1964 में जवाहरलाल नेहरू, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री और 1984 में इंदिरा गांधी का निधन प्रधानमंत्री रहते समय ही हुआ था। उन सभी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ था और उनकी याद में नई दिल्ली में स्मारक भी बने हैं।

वहीं स्वतंत्र भारत में शासन के शीर्ष पद पर रह चुके नौ लोगों का निधन प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद हुआ है। वर्ष 1987 में चरण सिंह, 1991 में राजीव गांधी, 1995 में मोरारजी देसाई, 1998 में गुलजारीलाल नंदा, 2004 में पी वी नरसिंह राव, 2007 में चंद्रशेखर, 2008 में विश्वनाथ प्रताप सिंह, 2012 में इंद्र कुमार गुजराल और अब 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ है। इनमें से तीन लोगों को छोड़कर बाकी सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल अपेक्षाकृत सीमित रहा। देसाई दो वर्ष से थोड़ा अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे जबकि चरण सिंह, वी पी सिंह, चंद्रशेखर और गुजराल एक साल से भी कम समय तक इस पद पर रहे थे। वहीं दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे नंदा दोनों बार दो हफ्ते के लिए ही इस पद पर रहे।

राजीव, राव और वाजपेयी ही ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पांच साल का कार्यकाल पूरा किया था। वाजपेयी के अंतिम संस्कार के इंतजामों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में राजीव और राव के निधन के समय सत्ता में रही सरकार द्वारा किए गए इंतजामों से तुलना किए जाने की जरूरत है। राजीव की आतंकवादियों ने आम चुनाव के बीच में हत्या कर दी थी और उस समय देश राजनीतिक अनिश्चितता और अभूतपूर्व आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। उनकी अंत्येष्टि का इंतजाम चंद्रशेखर की अगुआई वाली तत्कालीन कार्यवाहक सरकार ने किया था। लेकिन राजीव के अंतिम संस्कार से संबंधित इंतजाम किसी भी मायने में पदस्थ प्रधानमंत्री के निधन पर होने वाले इंतजाम से कम नहीं थे। नरसिंह राव का निधन दिसंबर 2004 में हुआ था। उस समय केंद्र में कांग्रेस की ही अगुआई वाली सरकार थी। राव पूरे पांच वर्षों तक उस समय प्रधानमंत्री रहे थे जब भारत की अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे संकट से गुजर रही थी। अपने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की मदद से राव ने भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए साहसिक सुधार किए। हालांकि विवादित बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दौरान निर्णायक कदम नहीं उठाने को लेकर राव विवादों के घेरे में आ गए लेकिन उनकी आर्थिक नीतियों और अमेरिका के करीब आने के रणनीतिक कदम ने भारत की अर्थव्यवस्था और भू-राजनीति को नई दिशा देने का काम किया।

पांच वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे नरसिंह राव का योगदान कई मायनों में वाजपेयी से कमतर नहीं था। इसके बाद भी राव के परिजनों की इच्छा होने पर भी उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं कराया गया। उनके पार्थिव शरीर को हैदराबाद ले जाया गया और हुसैन सागर झील के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राव के परिजनों से यह वादा किया था कि उनकी याद में एक स्मारक नई दिल्ली में बनवाया जाएगा लेकिन वह वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

राव के पार्थिव शरीर को लेकर जाने वाले वाहन को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय के भीतर घुसने तक नहीं दिया गया था। उसके बाद शव को हैदराबाद ले जाया गया था। ऐसा तब हुआ जब राव पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी थे। लेकिन कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राव को नजरअंदाज किया और एक प्रधानमंत्री के तौर पर किए गए नीतिगत बदलावों के लिए उन्हें श्रेय देने से भी मना कर दिया। यहां तक कि कांग्रेस राव सरकार के समय किए गए आर्थिक सुधारों की कामयाबी का श्रेय लेने में भी नाकाम साबित हुई। राव के साथ अपने मतभेद नहीं भुला पाने की वजह से कांग्रेस देश को आर्थिक संकट के भंवर से निकाल पाने में अपनी कामयाबी का श्रेय लेने से भी हिचकती रही।

इसके ठीक उलट प्रधानमंत्री मोदी ने वाजपेयी के निधन के बाद उनको यथोचित सम्मान देकर उनकी पूरी विरासत को अपना लिया है। अतीत में वाजपेयी के साथ रहे गहरे मतभेदों के बावजूद मोदी ने ऐसा किया है। सर्वविदित है कि 2002 में गुजरात दंगों से निपटने के मोदी के तौर-तरीकों को लेकर वाजपेयी का गहरा मतभेद था। यहां तक कहा जाता है कि वाजपेयी मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से हटाना भी चाहते थे। मोदी की नेतृत्व शैली भी वाजपेयी की शैली से जुदा है। फिर भी वाजपेयी के अंतिम संस्कार कार्यक्रम का विधिवत आयोजन कर और उसका सार्वजनिक रूप से दावा कर मोदी ने न केवल प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी की महती भूमिका को मान्यता दी है बल्कि उन्होंने वाजपेयी की विरासत पर भी अपना दावा कर दिया है। वाजपेयी के साथ उनके मतभेद भी उनकी राह में नहीं आए क्योंकि उन्हें शायद पता है कि वाजपेयी की विरासत को अपनाना उनके और उनके दल के लिए एक राजनीतिक पूंजी होगी।

सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व को भी 2004 में कुछ इसी तरह सोचना चाहिए था और नरसिंह राव के साथ मतभेदों को तिलांजलि देकर नई दिल्ली में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराया होता तो आज वह नरसिम्हाराव के आर्थिक सुधारों की विरासत पर अपना दावा जता सकती थी। वह आज भी अपनी गलती मानने तैयार नहीं है।

नई पीढ़ी को हुनरमंद बनाने लगी प्रदेश की शिक्षा

मुकेश मोदी

जीवन में सफलता पाने के लिये शिक्षा पहली आवश्यकता है। इसकी नींव स्कूल शिक्षा मानी जाती है। भाषा और ज्ञान बच्चों में आधारभूत बौद्धिक कौशल का ही विकास नहीं करता, बल्कि अन्य विषयों की समझ एवं रूचि के विकास में भी सहायक है। स्कूली शिक्षा से आशय मात्र पुस्तक आधारित ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में मदद करना है। मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद के निर्णय के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद की स्थापना सबके लिए शिक्षा के उद्देश्य से की गयी थी। शिक्षा से वंचित छात्रों को पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक और उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय की कक्षाओं में प्रवेश के लिये व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। पंजीकृत छात्रों की परीक्षाएं वर्ष में दो बार मई-जून एवं नवम्बर-दिसम्बर माह में ली जा रही हैं। विद्यार्थी जब तक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता, तब तक वह लगातार परीक्षा में शामिल हो सकता है। छात्र अपनी योग्यता और इच्छानुसार अवसरों का लाभ लेकर परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है।

मध्यप्रदेश में बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने के लिये राज्य सरकार ने पिछले एक दशक में अनेक नवाचार किये हैं। प्रदेश में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता के साथ उन बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिनकी स्कूली शिक्षा किन्हीं कारणों से अधूरी रह जाती है।

मध्यप्रदेश में अब ऐसा विद्यार्थी जिन्होंने कभी भी, कहीं भी औपचारिक अध्ययन नहीं किया है अथवा जिन्होंने कक्षा 5 अथवा कक्षा 8 तक औपचारिक रूप से अध्ययन किया है, वह विद्यार्थी स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड की हाईस्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र होगा। बशर्ते उसके पास जन्म-तिथि का प्रमाण-पत्र तथा आधार कार्ड हो। हाईस्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता तथा आयु का बंधन नहीं रखा गया है। किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 10 वीं एवं कक्षा 12 वीं के अनुत्तीर्ण छात्र, जो कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हों, वे स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड की पूर्ण क्रेडिट योजना में प्रवेश ले रहे हैं। पूर्ण क्रेडिट योजना में छात्रों को न्यूनतम एक और अधिकतम दो ऐसे विषयों में क्रेडिट की सुविधा दी जा रही है।

इस अंशत: क्रेडिट योजना में हाईस्कूल और हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण छात्र अपने ज्ञानार्जन के लिये कोई अन्य विषय (अधिकतम चार) में परीक्षा देकर मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद की परीक्षा पास कर सकते हैं। इस योजना में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की अंकसूची में केवल उन विषयों के ही प्राप्तांक दर्शाये जाएंगे, जिनमें उन्होंने परीक्षा दी है। श्रेणी सुधार योजना में हाईस्कल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद परीक्षार्थी यदि पुन: श्रेणी सुधार हेतु परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें श्रेणी सुधार के लिये नये अवसर दिये जा रहे हैं। पिछले वर्षो में परिषद की कक्षा 10 में 16 लाख 67 हजार 57 और कक्षा 12 में 7 लाख 46 हजार 548 विद्यार्थी शामिल हुए। इनमें से 8 लाख 50 हजार से अधिक विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण होकर शिक्षा की मुख्य-धारा से जुड़ गये हैं।

रूक जाना नहीं योजना

राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद की (रूक जाना नहीं) योजना ने उन छात्रों में उत्साह पैदा किया है, जो किन्हीं कारणों से मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की बोर्ड अथवा अन्य राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 और 12 की परीक्षा में उत्तीर्ण होने से वंचित रह गये थे। विद्यार्थियों में आत्मघाती कदम को रोकने तथा परीक्षा के और अवसर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से (रूक जाना नही) योजना छात्र हित में वर्ष 2016 में प्रारम्भ की गयी। योजना में वर्ष 2016 से जून 2018 तक कक्षा 10 में कुल 3 लाख 7 हजार 152 और कक्षा 12 में 2 लाख 41 हजार 834 विद्यार्थी शामिल हुए। इनमें से करीब 2 लाख 15 हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण होकर शिक्षा की मुख्य-धारा से दुबारा जुड़ गये। इनमें से कई विद्यार्थी अब सफलता पूर्वक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड बच्चों को

व्यवसायिक पाठ्यक्रम में भी शिक्षा उपलब्ध करवा रहा है। इनमें भाषा शिक्षा, स्टेनोग्राफी, खाद्य प्र-संस्करण, टेलरिंग, ड्रेस मटेरियल और कम्प्यूटर हार्डवेयर असेम्बली प्रमुख है। राज्य ओपन स्कूल ने हिन्दी माध्यम में शिक्षा देने के साथ-साथ अंग्रेजी माध्यम से विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने की सुविधा दी है। छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ओपन स्कूल की वेबसाइट शुरू की गई है।

उत्तर पुस्तिका का डिजिटल मूल्यांकन

मध्यप्रदेश स्कूली ओपन बोर्ड प्रदेश का ही नहीं, बल्कि देश का एकमात्र ऐसा बोर्ड है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन डिजिटल पद्धति से किया जा रहा है। इस व्यवस्था में परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिकाएँ उसके जिले में ही स्केन करवाते हुए सेन्ट्रल सर्वर पर अपलोड किये जाने की सुविधा है। डिजिटल मूल्यांकन से परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आयी है। इस प्रणाली से जाँची गयी उत्तर पुस्तिकाएँ लंबे समय तक ई-फार्म में सुरक्षित रखी जा रही है। राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की विभिन्न परीक्षाओं के साथ पूर्व में प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा परीक्षाओं में से जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं विकास खण्ड स्तरीय मॉडल विद्यालय प्रवेश परीक्षा, श्रमोदय आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा और सुपर 100 चयन परीक्षा भी सफलता से आयोजित की जा रही है।

वर्ल्ड ऑन व्हील

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने (डिजिटल इंडिया)कार्यक्रम के माध्यम से समाज और अर्थ-व्यवस्था का डिजिटल इम्पावरमेंट करने की पहल की है। यह कार्यक्रम देश के 135 करोड़ से अधिक नागरिकों को कम्प्यूटर लिटरेसी से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाने, शासन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने में कामयाब हुआ है। योजना को सकारात्मक रूप देने तथा डिजिटल शिक्षा एवं जागरूकता के लिये मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड एवं राष्ट्रीय उद्यमिता विकास निगम के माध्यम से (वर्ल्ड ऑन व्हील) मोबाइल कम्प्यूटर लैब विकसित की गयी है। यह मोबाइल कम्प्यूटर लैब एक स्कूल से दूसरे स्कूल एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचकर शिक्षा के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करेगी। इस कम्प्यूटर लैब में 20 कम्प्यूटर सहित इंटरनेट, जनरेटर तथा सौर ऊर्जा पैनल युक्त कई सुविधाएँ (वर्ल्ड ऑन व्हील)बस में हैं। इससे प्रतिवर्ष हजारों लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जायेगा। इस प्रयोगशाला में बिजली किसी प्रकार की बाधा न बने, इसके लिए इसे सौर ऊर्जा से संचालित किया गया है। यह मोबाइल बस चार वर्षों तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करेंगी।

आईटीआई उत्तीर्ण विद्यार्थियों को कक्षा 12 की समकक्षता

प्रदेश के विद्यार्थी आई.टी.आई. के बाद रोजगार के साथ उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकें, इसके लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्र हित में घोषणा की थी कि अब कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण करने के बाद आई.टी.आई. उत्तीर्ण विद्यार्थियों को कक्षा 12 वीं के समकक्ष बनाया जायेगा। इसके लिये राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड और मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास संचालनालय के मध्य एक एम.ओ.यू. भी किया गया है।

मध्यप्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला बन गया है। स्वयं मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिये भी प्राथमिक स्तर से उच्च शिक्षा तक की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की है। राज्य सरकार ने गरीब बच्चों की शिक्षा की मुफ्त व्यवस्था की है, बच्चों की फीस भर रही है, निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। अब वह दिन दूर नहीं, जब मध्यप्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर (एजुकेशन हब) के रूप में पहचाना जाएगा।

सबकी भागीदारी से बनेगा समृद्ध मध्यप्रदेश:मुख्यमंत्री

भोपाल,15 अगस्त। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नागरिकों के सक्रिय सहयोग और भागीदारी से समृद्ध मध्यप्रदेश का निर्माण होगा। उन्होंने नागरिकों से समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने के लिये सुझाव माँगे। श्री चौहान ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में हर गाँव में जनजातीय अधिकार सभा बनाई जायेगी। इस सभा को स्थानीय विकास और संसाधनों के उपयोग के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश करने वाली जो औद्योगिक इकाई रोजगार उपलब्ध करायेगी, उसे शासकीय रियायतों में प्राथमिकता दी जायेगी। श्री चौहान आज स्थानीय लाल परेड ग्राउंड पर राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने समारोह में परेड की सलामी ली।

श्री चौहान ने उन सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिनके बलिदान से भारत को आजादी मिली। उन्होंने कहा कि अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए जवानों के परिवारों को एक करोड़ रूपये की सम्मान निधि दी जायेगी। इसमें से 40 प्रतिशत राशि शहीदों के माता पिता के खातों में डाली जायेगी और बाकी शहीद के उत्तराधिकारी को दी जायेगी। माता-पिता को आजीवन पाँच हजार रूपये की पेंशन भी दी जायेगी। यदि शहीदों के बच्चे शहरों में पढ़ने आते हैं, तो उन्हें फ्लैट की सुविधा दी जायेगी। हर साल 14 अगस्त को प्रदेश में शहीद सम्मान दिवस मनाया जायेगा।

श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। नये भारत का निर्माण करने के लिये नये मध्यप्रदेश का निर्माण करना जरूरी है। हम बीमारू राज्य से प्रगतिशील और अब विकसित राज्य की ओर बढ रहे हैं। अब समद्ध मध्यप्रदेश बनाना है। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश हर क्षेत्र में आगे है। भरपूर बिजली है। भरपूर सिंचाई हो रही है। नर्मदा को गंभीर नदी से जोड़ा जा रहा है। इसके बाद पार्वती और कालीसिंध नदियों से जोड़ा जायेगा।

श्री चौहान ने कहा कि किसानों की समृद्धि राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। किसानों को कई राहतें दी गई हैं। उन्हें उनकी उपज का पूरा दाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सहायता देने पर भी विचार किया जाना चाहिये। प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, लेकिन इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। गरीबों को पक्का मकान बनाने के लिये पट्टे दिये जा रहे हैं। कोई गरीब बिना मकान और जमीन के नहीं रहेगा। बिजली बिल माफ किये जा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठायेगी। इस साल के आखिर तक सभी घरों में बिजली होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा कर्मी बनाने की संस्कृति को समाप्त कर अध्यापक का सम्मानजनक पद बनाया गया है। बैतूल जिले से %एक परिसर-एक स्कूल% का प्रयोग शुरू किया जा रहा है, जिसमें एक ही स्कूल परिसर में पढ़ाई के सभी आधुनिक संसाधन उपलब्ध होंगे। आगामी 17 अगस्त को %मिल-बाँचे मध्यप्रदेश%% का शुभारंभ हो रहा है। उन्होंने सभी सक्षम नागरिकों से अपील की कि वे अपनी पसंद के स्कूल में जायें और बच्चों को पढायें, शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनायें और किताबें दान में दें।

श्री चौहान ने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से छोटे तालाबों के निर्माण के लिये ग्राम सरोवर अभिकरण बनाया जायेगा। यह अभिकरण पाँच वर्षों में पाँच हजार तालाब निर्मित करेगा। उद्योगों के जरिए रोजगार में वृद्धि के लिये अब उद्योगों को टैक्स में छूट देने के बजाय निवेश में सीधे सहायता देने के लिये औद्योगिक नीति में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर बनी हुई है। हमारी विकास दर पिछले कई वर्षों में लगातार डबल डिजिट में रही है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गरीब परिवारों को सभी मूलभूत सुविधाएँ जुटाने और गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का काम किया जायेगा।

गरीबों की चिंता दूर करेगी संबल योजना

मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना %संबल% की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह योजना प्रदेश की लगभग आधी आबादी की रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, रोजगार जैसी मूलभूत चिंताओं को दूर करने का काम करेगी। एक जनवरी 2018 से ग्रामीण क्षेत्र में भू-खण्ड अधिकार अभियान में नौ लाख से अधिक परिवारों को भू-खण्ड अधिकार-पत्र दिए गए हैं। पहले वितरित भू-खण्ड अधिकार पत्रों को शामिल कर 35 लाख से अधिक परिवार को आवासीय भू-खण्ड मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 7 लाख से ज्यादा आवास बन गये हैं। सवा लाख आवासों का निर्माण पूरा हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र के 94 प्रतिशत घरों में शौचालय सुविधा के साथ प्रदेश, देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है।

पंजीकृत श्रमिकों और संन्निर्माण कर्मकारों को अधिकतम 200 रूपये प्रति माह की दर से जुलाई माह से बिजली बिल देना प्रारंभ किया गया है। बिजली के क्षेत्र में आत्म-निर्भर होने के बाद अब लक्ष्य यह है कि हर नागरिक का घर बिजली से रोशन हो। सौभाग्य योजना के तहत 31 जिलों में सभी पात्र हितग्राहियों के घरों तक बिजली पहुँचाई जा चुकी है। अक्टूबर माह तक प्रदेश के हर घर में बिजली का प्रकाश लाने का हमारा लक्ष्य है।

किसानों के खातों में जमा कराये 35 हजार करोड़

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती की आय को पाँच वर्षों में दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सिंचाई का रकबा बढाया जा रहा है। अभी 40 लाख हेक्टेयर है। इसे बढाकर 80 लाख हेक्टेयर कर दिया जायेगा। इस वर्ष फसल बीमा, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि, भावांतर भुगतान, प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति और अन्य विभिन्न योजनाओं से किसानों के खातों में

(शेष भाग पेज पांच पर पढ़िए)

अपनी संपदा को सपनों के पंख लगाएं
Sage One
Financial Consultant
TANUL SHANKUSHAL
Director
+91-9425018217
tanul@sageonecapital.com
190,Hansa Complex,Zone-1
M.P.Nagar,Bhopal-462011

अपनी आजादी को हम हरगिज गंवा सकते नहीं
आल इंडिया यूनियन बैंक आफिसर्स फेडरेशन
पंजीयन क्रमांक 4964
(एआईबीओसी से संबद्ध)
मुख्यालय: 26। 28-डी कनॉट प्लेस, नईदिल्ली-110001
www.aiubof.in

बैंक अधिकारियों कर्मचारियों के हितों के लिए समर्पित
अध्यक्ष:प्रभात सक्सेना,9039033363

एक्सिस बैंक के सामने बैटरियों का खजाना
Shailendra Gupta
Mob.: 9755990780
9713454209
9406543198
The Power of sight
BLAZE ENTERPRISES

Shop No. SG-17, Vijay Stambh, Infront of Axis Bank, Zone-1, M.P. Nagar, Bhopal | Mail: gupta_shailendra08@yahoo.co.in
251-B, Mishra Market, Ashoka Garden, Raisen Road, Bhopal
Authorised Dealer
EXIDE BATTERIES Bike, Car & Inverter
Deals in
INVERTER MICROTEK STABILIZER & UPS
CP PLUS HIKVISION alhua CCTV CAMERAS

सबकी भागीदारी से बनेगा समृद्ध मध्यप्रदेश :मुख्यमंत्री

सीधे 35 हजार करोड़ रूपये की राशि पहुँचायी गयी है।

कृषि के सहयोगी क्षेत्रों को भी भरपूर बढ़ावा दिया जा रहा है। नियमों में संशोधन करते हुए राहत राशि को 30 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। इस वर्ष केला फसल क्षति राहत 27 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रति हेक्टेयर और अधिकतम 3 लाख रुपये प्रति कृषक की गई है, जिससे बुरहानपुर के केला उत्पादक किसानों को आपदा की घड़ी में सरकार का संबल मिला।

श्री चौहान ने कहा कि भूमि-स्वामी और बटाईदार के हितों का संरक्षण करने के लिए कानून बनाने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है। अब भूमि-स्वामी निश्चिंत होकर अपनी भूमि पाँच वर्ष तक बटाई पर दे सकेगा।

स्मार्ट सिटी परियोजना में निवेश होगा 20 हजार करोड़

श्री चौहान ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना में सात शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना और सागर शामिल है। इन शहरों में पुनर्घनत्त्वीकरण और पुनर्निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। इस परियोजना में 20 हजार करोड़ रूपये निवेश की योजना है। स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे देश में नगर निगम इंदौर प्रथम और नगर निगम भोपाल द्वितीय स्थान पर लगातार दूसरे वर्ष भी रहे हैं। अगले 3 वर्षों में प्रदेश का कोई भी नगरीय निकाय ऐसा नहीं होगा, जहाँ पेयजल परियोजना अधूरी हो अथवा पेयजल का संकट हो।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़कों के विकास में विशेष रूप से निवेश किया है। निरंतर विकास की प्रक्रिया आगे भी जारी है। सरकार 6,600 कि.मी. की सड़कों का निर्माण/उन्नयन और 3,200 कि.मी. सड़कों के नवीनीकरण का कार्य कर रही है। सभी संभागीय मुख्यालयों को फोर-लेन तथा सभी जिला मुख्यालयों को टू-लेन से जोड़ने का कार्य आने वाले समय में प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चंबल एक्सप्रेस-वे जैसी महत्त्वपूर्ण सड़क निर्माण परियोजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले समय में एक भी गाँव ऐसा नहीं बचेगा, जो बारहमासी सड़कों से जुड़ा ना हो।

आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित होंगे एक करोड़ 15 लाख परिवार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गरीबों के स्वास्थ्य के लिए शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को पाँच लाख रुपये तक के निश्शुल्क इलाज की व्यवस्था की गई है। योजना में राज्य के लगभग 75 लाख परिवारों को शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने एक कदम आगे जाकर 22 अन्य श्रेणी के परिवारों को भी इस योजना में शामिल कर लिया है। इस कदम से आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदेश के लगभग एक करोड़ 15 लाख परिवार ले सकेंगे।

श्री चौहान ने कहा कि इस शिक्षा सत्र से दतिया, विदिशा, खण्डवा, रतलाम में नये मेडिकल कॉलेज शुरू कर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में 500 सीट की वृद्धि की गई है। सिवनी और छतरपुर में नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार, आने वाले समय में शहडोल, शिवपुरी, सतना तथा छिंदवाड़ा सहित 6 नए मेडिकल कॉलेज प्रदेश में और कार्य करना प्रारंभ कर देंगे।

एक परिसर-एक शाला

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार के लिए 卐एक परिसर-एक शाला卐 की अवधारणा प्रारंभ की जा रही है। इसके तहत एक परिसर में चलने वाली सभी तरह की शालाओं का एकीकरण कर उन्हें एक ही विद्यालय के रूप में चलाया जाएगा। इससे शिक्षकों के साथ-साथ अन्य संसाधनों का बेहतर उपयोग हो पाएगा। उन्होंने बताया कि स्कूलों में शिक्षा कर्मी व्यवस्था को समाप्त करते हुए अध्यापक संवर्ग और संविदा शिक्षकों का शिक्षा एवं जनजातीय कल्याण विभाग में संविलियन किया गया है। महाविद्यालयों में काफी समय बाद नियमित प्राध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। इस वर्ष से मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना में पंजीकृत श्रमिकों के पुत्र-पुत्रियों को भी इसी योजना का लाभ मिलेगा।

हर साल साढ़े सात लाख युवाओं का कौशल संवर्धन

श्री चौहान ने कहा कि युवा सशक्तिकरण मिशन के तहत राज्य सरकार ने प्रति वर्ष साढ़े सात लाख युवाओं के कौशल संवर्धन का लक्ष्य रखा है। भोपाल में सिंगापुर के सहयोग से 645 करोड़ का विश्व-स्तरीय ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर जिला मुख्यालयों पर रोजगार मेले लगाए गए, जिनमें लगभग सवा लाख युवाओं को नौकरियाँ प्रदान की गईं। राज्य शासन की स्व-रोजगार से जुड़ी योजनाओं के तहत लगभग एक लाख युवाओं को इसी महीने विशेष शिविर आयोजित कर पूरे प्रदेश में ऋण स्वीकृति-पत्र प्रदान किए गए हैं। एमएसएमई विकास नीति 2017 में विभिन्न अनुदान का एकीकरण कर इसे मध्यम, लघु तथा सूक्ष्म इकाईयों के लिए और आकर्षक बनाया गया है। प्रदेश में पिछले वर्ष दो लाख से अधिक एमएसएमई पंजीकृत हुई हैं, जिसमें 1,400 करोड़ के निवेश के साथ 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है।

जनजातीय कल्याण पर खर्च होंगे दो लाख करोड़

मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले 5 वर्षों में प्रदेश में जनजातीय कल्याण पर दो लाख करोड़ रुपए के कार्य किए जाएंगे, जिससे समस्त जनजातियों का सर्वांगीण विकास होगा। इस वर्ष 9 अगस्त को जनजातीय कल्याण की दिशा में एक नया कदम उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस को समारोह पूर्वक मनाया। अनुसूचित विकासखंडों के प्रत्येक ग्राम में जनजातीय अधिकार सभा का गठन होगा। विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों में कुपोषण की समस्या को देखते हुए प्रत्येक परिवार के बैंक खाते में एक हजार रूपये प्रति माह का पोषण अनुदान जमा किया जा रहा है। अनुसूचित जातियों का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता में है। प्रति वर्ष साढ़े 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों को हम 732 करोड़ रूपये से अधिक राशि की छात्रवृति एवं शिष्यवृति दे रहे हैं। साथ ही इन वर्गों के आर्थिक विकास के लिये पिछले वर्ष मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना, युवा उद्यमी योजना एवं आर्थिक कल्याण योजना के तहत 11 हजार हितग्राहियों को लगभग 362 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई है।

महिलाओं की सुरक्षा

श्री चौहान ने कहा कि बालिकाओं से दुष्कर्म या सामूहिक बलात्कार के अपराध को मृत्यु-दण्ड से दण्डनीय बनाने वाला कानून विधानसभा से पास करवाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। ऐसे अपराधों के निराकरण के लिए 50 विशेष न्यायालय कार्यरत हैं। पिछले छः माह में बालिकाओं से दुष्कर्म के आठ प्रकरणों में अपराधियों को मृत्यु-दण्ड की सजा दी गई है।

श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष भी नर्मदा तथा अन्य नदियों के केचमेंट सहित पूरे प्रदेश में उच्च गुणवत्ता के 7 करोड़ पौधे लगाये जाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। नर्मदा नदी के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा %नर्मदा सेवा मिशन% गठित किया गया है। नर्मदा तट के 19 नगरीय निकाय में 1300 करोड़ की सीवरेज योजनाएँ प्रगति पर हैं। वनोपज संग्राहकों के कल्याण के लिए इस वर्ष राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। तेंदूपत्ता संग्राहकों को 2000 रूपये प्रति मानक बोरा राशि दी जा रही है, जो पिछले वर्ष से 60 प्रतिशत अधिक है। पहली बार 22 लाख 35 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को जूता-चप्पल, पानी की बोतल तथा महिला संग्राहकों को साड़ी प्रदाय की गई है।

राज्य सरकार कला एवं संस्कृति के संरक्षण के लिये राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि ओंकारेश्वर में आदिगुरू शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास गठित किया गया है। कला एवं संस्कृति को सहेजने के लिये लोक कलाकार मण्डल गठित किया जा रहा है। पाँच नये हिन्दी सेवा सम्मान शुरू किये गये हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना का लाभ हजारों वरिष्ठ नागरिकों ने लिया है। प्रदेश की %स्पोर्टस हब% के रूप में पहचान बन रही है। बीते डेढ़ दशक में खेल अधोसंरचनाओं का उल्लेखनीय विकास हुआ है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खिलाड़ी पदक जीत रहे हैं। राज्य शासन ने कर्मचारियों के कल्याण का पूरा ध्यान रखा है। कर्मचारियों और पेंशन-धारकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि सुशासन के लिये समाधान एक दिन-तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था में 34 सेवाओं को एक दिन में प्रदाय किया जा रहा है। सीएम हेल्प लाइन नागरिक केन्द्रित सेवा प्रदाय की पहल है। इसमें अब तक प्राप्त 95 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण हो चुका है।

प्रभावी अपराध नियंत्रण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था लगातार बेहतर रखने में सरकार सफल रही है। साम्प्रदायिक सौहार्द की दृष्टि से प्रदेश देश में मिसाल बना है। पिछले वर्षों में 161 नये पुलिस थाने तथा 111 नई पुलिस चौकियाँ स्थापित की गईं और 42 हजार 336 पदों पर भर्ती की गईं। महिलाओं के लिये 676 थानों में पृथक कक्ष के निर्माण की परियोजना में इस वर्ष 40 करोड़ का प्रावधान है। डॉयल-100 योजना से 50 लाख से भी अधिक पीड़ितों और जरूरतमंदों को मौके पर पुलिस सहायता मिली है। प्रदेश भर में संवेदनशील स्थानों पर 10 हजार सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगाकर अपराधों पर नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था करने वाला वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुरस्कार दिए.

कमाल की दवा भी है खाने का सोडा

बेकिंग सोडा का इस्तेमाल वैसे तो हर घर में होता है लेकिन अधिकांश लोग इसका इस्तेमाल कुछ खास डिशेज बनाने और गंदगी साफ करने के लिए करते हैं। आपको बता दें कि बेकिंग सोडा में कई औषधीय गुण होते हैं और इसके सेवन से शरीर को कई फायदे हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ गंदगी साफ करने, दांतों को चमकाने और सिर की खुजली ठीक करने के लिए ही ना करें बल्कि इसे घरेलू उपचार के रूप में इस्तेमाल करें। सुन्दरता और घरेलू चीजों में इस्तेमाल होने के अलावा बेकिंग सोडा स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। जी हाँ यहाँ हम आपको बताने जा रहें हैं की खाली पेट बेकिंग सोडा का सेवन आपके लिए कितना फायदेमंद है। रोजाना सुबह खाली पेट बेकिंग सोडा खाने से होते हैं ये फायदे । हैल्थ बैलेंस करना = हमारे पेट में एसिडिक वातावरण होने से कई तरह की बीमारियाँ जैसे एसिडिटी, कैंसर, आस्टियोपोरोसिस, और आर्थराइटिस जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे अन्दर मौजूद ब्लड एक न्यूट्रल पीएच 7.3 और 7.4 कायम रखता है जोकि थोडा क्षारीय होने की स्थिति में होता है। बेकिंग सोडा क्षारीय प्रवृति का होता है और आसानी से हमारे ब्लड में सर्कुलेट होता है इसलिए खाली पेट बेकिंग सोडा खाने से हमारा हेल्दी पीएच कायम रहता है और यह एसिडिटी, कब्ज, और पेट मे होने वाली उलझन को ठीक रखने में मदद करता है। 2 = किडनी स्टोन होने से रोकना = ये स्टोन क्रिस्टल जैसे होते हैं और उतने ही बड़े होते हैं कि आसानी से हमारे यूरिन यानी मूत्र से बाहर निकल जाते हैं लेकिन जब यह युरेटर से चिपक जाते है और यूरिन के माध्यम से बाहर नहीं निकल पाते तो आप कल्पना कर सकते है की कितना दर्द होता होगा। किडनी स्टोन के कारण पीठ में दर्द होना, मिचली आना, और यूरिन यानी मूत्र मे खून का आना जैसी दिक्कतें होती हैं। जैसा कि हम आपको यह पहले बता चुके हैं कि बेकिंग सोडा क्षारीय होता है और यह स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ में तोड़ देता है जिससे कि यह आसानी से मूत्र से बाहर निकल जाता है। यदि आप लगातार खाली पेट बेकिंग सोडा पीते हैं तो आपको कभी भी किडनी स्टोन की समस्या नहीं आयेगी। 3 = मूत्र में होने वाले इन्फेक्शन से बचाता है = अक्सर लोगों में यूटीआई की समस्या हो जाती है इसके लिए लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं जिससे आराम मिलता है। लेकिन समय के साथ जब हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज्यादा करने लगते हैं तो इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है जिससे एंटीबायोटिक का असर नहीं होता जिससे गंभीर समस्या हो सकती है। आप इसके लिए फिर से बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकिंग सोडा मूत्र के एसिड लेवल को उदासीन रखता है। बेकिंग सोडा एक नेचुरल डीटॉक्सीफायर होता है जो किडनी को साफ रखता है जिससे इन्फेक्शन आगे किडनी में नहीं फैलता है और कोई नुकसान नहीं होता है। 4 = नेचुरल एंटाएसिड = हमारे पेट में एसिड होते हैं जो स्वस्थ पाचन के लिए जरुरी होते हैं। लेकिन जब यह एसिड हमारे पेट से निकलकर आहार नली में आ जाता है तो हमें गले और पेट में जलन जैसी दिक्कत होने लगती है। क्षारीय प्रवृति होने के कारण बेकिंग सोडा एक नेचुरल एंटाएसिड होता है। यह हमारे पेट में मौजूद एसिड को उदासीन करता है और पेट में गैस को बनने से रोकता है जिससे हमें पेट और गले में होने वाली जलन से आराम मिलता है।

हमारे शरीर में एसिड बढ़ने से कई ऐसी रहस्यमयी बीमारियां होती हैं जिनका निदान करने में डाक्टर सफल नहीं हो पाते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने से ही शरीर के कई फंक्शन बिगड़ने लगते हैं। कई बड़ी बीमारियों की जड़ भी यही यूरिक एसिड होता है। इसलिए समय रहते हमें शरीर में बढ़ा हुआ अम्ल दूर करना चाहिए जिसमें खाने का सोडा मददगार साबित होता है।

साउथ के विश्व प्रसिद्ध वासन आई केयर हास्पिटल, सेलम तमिलनाडु के सीनियर नेत्र सर्जन डॉ. आर. प्रसाद अब स्थाई रूप से भोपाल में

RBM ADVANCED EYE HOSPITAL
RBM ADVANCED EYE HOSPITAL WORLD OF VISION

मोतियाबिंद (CATARACT) ऑपरेशन कराने के पूर्व एक बार अवश्य सम्पर्क करें ।

डॉ. प्रसाद ने साउथ इंडिया में 9 साल रहकर लगभग 35000 ऑपरेशन किये हैं

ऑपरेशन हेतु प्रमुख सुविधाएँ

- एडवांस फेको सर्जरी
- टाँके रहित मोतियाबिंद (Catract) ऑपरेशन
- बिना इंजेक्शन लगाये ऑपरेशन केवल दो बूंद एनिस्थिसिया की
- ऑपरेशन के उपरान्त काले चश्में की जगह पारदर्शी चश्मा दिया जाता है
- मोतियाबिंद ऑपरेशन के कुछ समय बाद ही मरीज को घर जाने की सुविधा
- सभी प्रकार के इम्पोंटेड लेन्स की सुविधा उपलब्ध
- मोतियाबिंद ऑपरेशन आपके बजट अनुसार
- मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु बजाज फायनेंस सुविधा उपलब्ध है
- Toric & Multifocal Lens Implantation
- ICL & RLE Surgery भी की जाती है
- Complete Glaucoma Care
- Advanced Glaucoma Devices Implantation.
- Cosmetic Eye Surgery
- Diabetic Retinal Care
- Fundus Photography.

ऑपरेशन के पूर्व डॉक्टर प्रसाद द्वारा किए गये ऑपरेशन का विडियो देखें

Dr. R. Prasad
Phaco and Glaucoma Surgeon
Ex. Senior Eye Surgeon
Vasan Eye Care Hospital, Salem, Tamilnadu

पता - ए-3,4 जानकी नगर, प्रथम तल, चूना-भट्टी, कोलार रोड, भोपाल सुयश हास्पिटल एवं ऑनडोर के पास स्थित फोन:0755-4927370

मोतियाबिन्द ऑपरेशन हेतु भोपाल का आधुनिक अस्पताल

श्री जी ट्रेडर्स

ईशान इंद्र भवन इंद्रपुरी भोपाल

प्रोपाईटर- एस.के जैन

उत्तम गुणवत्ता के कूलर एवं फिटिंग्स मिलने का सबसे भरोसेमंद प्रतिष्ठान

आज ही बुकिंग कराएं -८९८२४३५३७०

आर्थिक आजादी की ओर बढ़ता मध्यप्रदेश

भोपाल (राजेश पांडेय) ।मध्यप्रदेश सरकार किसानों की भूमि और राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिये प्रतिबद्ध है। यही वजह है कि पिछले डेढ़ दशक में सरकार ने राजस्व प्रशासन में कसावट के साथ राजस्व सुधार और पारदर्शी कार्य-प्रणाली को बढ़ावा देने की सार्थक कोशिशें की है। सूचना-प्रौद्योगिकी का भी इस बड़े काम में प्रभावी उपयोग सरकार ने किया है। इस अवधि में राजस्व विभाग द्वारा भूमि-स्वामी और कृषकों की सुविधा के लिए अनेक नवाचार किए गए हैं। किसानों को तहसील के चक्कर से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से अधिकांश कार्य ऑनलाइन कर दिये गये हैं। सरकार की मंशा है कि किसान को घर बैठे उसके मोबाइल के माध्यम से सभी सुविधाएँ मिलें। इसे पूरा करने के लिए विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाये गये हैं।

राजस्व और पंजीयन विभाग के सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन

भू-अभिलेख सॉफ्टवेयर और पंजीयन विभाग के सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन किया गया है। इससे पंजीयन के समय जमीन से संबंधित जानकारी सीधे भू-अभिलेख साफ्टवेयर से उप पंजीयक को इंटरनेट के माध्यम से प्राप?त होती है। भू-अभिलेख अनुसार जमीन के भूमि-स्वामी, रकबा, डायवर्सन आदि की जानकारी उप पंजीयक को उपलब?ध होगी। इससे फर्जी अभिलेख के आधार पर शासकीय भूमि का विक्रय, गलत भूमि स?वामी द्वारा भूमि विक्रय और स?टॉम?प चोरी के प्रकरणों पर प्रभावी रोक लगेगी।

आरसीएमएस एवं सम्पदा एप्लीकेशन का इंटीग्रेशन

राजस्व न्यायालय के सॉफ्टवेयर आरसीएमएस (रेवेन्यू कोर्ट मेनेजमेन्ट सिस्टम) को पंजीयन विभाग के सॉफ्टवेयर- सम्पदा एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट किया गया है। नागरिक द्वारा जैसे ही सम्पदा एप्लीकेशन में रजिस्ट्री कराई जायेगी, उसका प्रकरण राजस्व न्यायालय में अविवादित नामान्तरण/ बँटवारा के लिए स्वत-ही दर्ज हो जाएगा। रजिस्ट्री कराते ही नागरिक को एसएमएस से नामान्तरण के लिये दस्तावेज जमा करने के लिए राजस्व न्यायालय का नाम, सुनवाई की तारीख आदि की जानकारी मिलेगी। तदनुसार राजस्व न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर, दावा आपत्ति आमंत्रित करते हुए विधिवत प्रकरण का निराकरण समय-सीमा में किया जायेगा। रजिस्ट्री के बाद नागरिक को नामान्तरण का आवेदन देने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

किसान एप

कृषकों को मोबाइल से फ़सल गिरदावरी की सुविधा मिलेगी। कृषकों को खरीफ वर्ष 2018-19 से स्व-घोषणा, लोक सेवा केंद्र, एम.पी. ऑनलाइन और किसान एप द्वारा फसल की जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी गई है। खाते में दर्ज फसल की जानकारी विभिन्न लाभ प्राप?त करने के लिए महत?वपूर्ण है। किसान एप के माध?यम से कृषक बोई-गयी फसल की स्व-घोषणा कर सकेगा। कृषक द्वारा स्व-घोषित फसल की जानकारी भू-अभिलेख में अस?थायी रूप से दर्ज हो जायेगी जो पटवारी के सत?यापन पर स?थायी हो जायेगी। यदि कृषक, पटवारी द्वारा दर्ज की गई फसल जानकारी से संतुष्ट नहीं है, तो वह तहसीलदार को सीधे आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। इसका निराकरण वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जाँच कर किया जायेगा। ई-उपार्जन, भावांतर, प्राकृतिक आपदा फसल हानि आदि में यह जानकारी सीधे उपयोग की जा सकेगी। बार-बार सत?यापन करने की जरूरत नहीं होगी।

भूमि की जानकारी

स्वयं की भूमि की पूरी जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध होगी।खसरा/ खतौनी/ नक्शा की नकल का अवलोकन एप से किया जा सकता है। खसरा/ खतौनी/ नक्शा की सत्यापित नकल एप के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्राप्त की जा सकती है। किसान भू-अधिकार ऋण पुस्तिका की प्रति एप से प्राप्त कर सकता है।

एम.आर.सी.एम.एस. एप

राजस्व प्रकरणों के संबंध में जानकारी एम.आर.सी.एम.एस. एप से भी प्राप्त की जा सकेगी। यह एप प्ले-स्टोर पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। प्रदेश के समस्त राजस्व न्यायालय द्वारा अब आर.सी.एम.एस. सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। नागरिक आरसीएमएस वेबसाइट से राजस्व प्रकरण की जानकारी ले सकते हैं। नागरिक, अभिभाषक और राजस्व अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों की जानकारी और कार्यवाही के लिए मोबाइल पर ही सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एम.आर.सी.एम.एस. एप का निर्माण भी किया गया है। नागरिक राजस्व प्रकरणों की वाद सूची / कॉज लिस्ट देख सकते हैं। प्रकरणों के अंतिम आदेश की प्रतिलिपि और प्रकरण से सम्बंधित जानकारी प्राप?त कर सकते हैं।

अधिवक्ता सुविधा

वकीलों के लिए केस डायरी एप पर उपलब्ध होगी। वे मुवक्किलों के प्रकरणों को स?वयं से लिंक कर लिंक किए गए प्रकरणों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।राजस्व प्रकरणों की वाद सूची / कॉज लिस्ट देखने के साथ ही प्रकरणों की अंतिम आदेश की प्रतिलिपि और प्रकरण से सम्बंधित नोटिफिकेशन भी प्राप?त किये जा सकते हैं।

भविष्य में उपलब्ध होने वाली सुविधाएँ

समर्थन मूल्य योजना के लिए पंजीयन, भावांतर योजना के लिए पंजीयन, अन्य शासकीय योजना (भूमि या कृषक संबंधित) के लिए पंजीयन या आवेदन, भूमि बंधक के लिए आवेदन, नामान्तरण, बँटवारा एवं सीमांकन के लिए आवेदन, भू-राजस्व की जानकारी और जमा करने की सुविध भी भविष्य में उपलबध करायी जायेंगी। राजस्व विभाग द्वारा भूमि-स्वामियों और किसानों के हित में नीतिगत निर्णय भी लिये गये हैं। वर्षों से चल रहे अनुपयोगी नियमों/निर्देशों को समाप्त कर उनके स्थान पर वर्तमान में उपयोगी कानून और नियम बनाये गये हैं।

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 में संशोधन

इस संशोधन से नामांतरण होने के बाद भू-अभिलेख दुरूस्ती के बाद आदेश प्रति और संशोधित भू- अभिलेख जैसे खसरा आदि की प्रति निःशुल्क दी जायेगी। बँटवारे के प्रकरणों में अब भूमिस्वामी जीवन-काल में स्वयं के लिए भूमि बचाकर वारिसों के मध्य भूमि का बँटवारा कर सकेगा। इससे पहले स्वयं के लिए भूमि बचाने का स्पष्ट प्रावधान नहीं था। सीमांकन के प्रकरणों में अब सीमांकन कराने के लिए निजी अधिकृत एजेंसियों की मदद ली जा सकेगी। इससे सीमांकन सरलता और शीघ्रता से होंगे। सीमांकन के विवादों के निराकरण के लिये स्थानीय प्रशासन को सशक्त कर प्रक्रिया को आसान किया गया है। सीमांकन की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा कराई जायेगी जिससे असंतुष्ट होने पर अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन किया जा सकेगा। अनुविभागीय अधिकारी सुनवाई कर पुन-सीमांकन कराने का आदेश दे सकेंगे। अब भू-धारक को सीमांकन के प्रकरणों में पुन-सीमांकन कराने के लिए राजस्व मंडल ग्वालियर नहीं जाना पड़ेगा।

राजस्व प्रकरण में अनावेदक/ साक्षियों को सूचना जारी करने के लिए तलवाना जमा नहीं करने जैसे मामूली करणों पर अब राजस्व प्रकरण खारिज नही होंगे। अब आवेदक स्वयं विधि सम्मत डायवर्सन कर सकेगा। इसके लिये किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी। डायवर्सन के लिए जमा करने वाली राशि की गणना आवेदक स्वयं कर सकेगा और राशि जमा कर अनुविभागीय अधिकारी को रसीद के साथ सूचना मात्र देगा। डायवर्सन की राशि जमा करने की सूचना और रसीद ही डायवर्सन के आदेश के रूप में मान्य होगी।

बंदोबस्त की परेशानियों को देखकर यह व्यवस्था समाप्त की गई है। अब लगातार भू-सर्वेक्षण की सरल व्यवस्था लागू की जा रही है। यह सर्वेक्षण तहसील या उसके छोटे हिस्से में अधिसूचना द्वारा किया जा सकेगा। शहरी क्षेत्रों में भूमि प्रबंधन की सुव्यवस्थित प्रणाली प्रारंभ की जा रही है। शहरी क्षेत्रों में अब सेक्टर एवं ब्लॉक होंगे, जिनके नक्शे बड़े पैमाने के होंगे। इस कारण अब खसरे में छोटे-छोटे मकानों के प्लॉट का इंद्राज किया जा सकेगा। आबादी भूमि में विधिपूर्वक निवास बनाकर धारित की गई भूमि पर व्यक्ति को भूमि-स्वामी अधिकार दिया गया है। अब आबादी भूमि के धारक को भू-अभिलेख प्राप्त होंगे, जिसके आधार पर धारक बैंक ऋण आदि प्राप्त कर सकेंगे। मौरूसी काश्तकार प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अब भूमिस्वामी निश्चिंत होकर बँटाई पर भूमि दे सकेगा।

मध्यप्रदेश भूमि-स्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण अधिनियम 2016

देश में मध्यप्रदेश भूमिस्वामी और बटाईदार के हितों का संरक्षण करने के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य बना है। अधिनियम को बनाने और लागू करने पर नीति आयोग ने प्रदेश की प्रशंसा की है। अधिनियम के प्रावधान अनुसार अब भूमि-स्वामी अपनी कृषि भूमि को बँटाई या पट्टे पर दे सकता है।

अब भूमि-स्वामी अपनी कृषि भूमि को 5 वर्ष तक के लिए किसी अन्य व्यक्ति को निश्चिंत होकर बटाई या पट्टे पर दे सकेगा। भूमिस्वामी एवं बँटाईदार के मध्य विवादों का निराकरण तहसीलदार द्वारा अर्थात् स्थानीय स्तर पर ही निराकरण हो जायेगा। पट्टा समाप्ति पर पट्टादार द्वारा भूमि-स्वामी को कब्जा नहीं दिये जाने की स्थिति में तहसीलदार भूमि-स्वामी को कब्जा दिला सकेंगे।

मध्यप्रदेश ग्रामों की दखल रहित भूमि अधिनियम 1970 में संशोधन

मध्यप्रदेश ग्रामों की दखल रहित भूमि अधिनियम में यह प्रावधान है कि ग्राम की समस्त दखल रहित भूमि पर नियत तिथि, जो 31 दिसम्बर 2014 है, को जो व्यक्ति भूमि पर काबिज है, को निवास हेतु पट्टा दिया जाये। इस अधिनियम में संशोधन किया गया है। पहले प्रावधान था कि नगर निगम की सीमा से 16 कि.मी, नगर पालिका की सीमा से 8 कि.मी. एवं नगर पंचायत की सीमा से 3 कि.मी. की परिधि में पट्टे नहीं दिये जा सकते थे। अब इसे संशोधित कर निवेश सीमा अथवा पट्टाधिकृति अधिनियम 1984 की सीमा एवं निकाय की बाहरी परिधि पर स्थित ग्राम तक सीमित किया गया है अर्थात् अब ज्यादा क्षेत्र में पट्टे दिये जा सकेंगे।

इसी प्रकार पहले प्रावधान था कि राष्ट्रीय राजमार्ग या मध्यप्रदेश हाईवे के मार्गो के दोनो तरफ एक कि.मी. तक पट्टे नहीं दिये जा सकते हैं । अब इसे घटाकर आधा कि.मी. कर दिया गया है अर्थात् अब ज्यादा क्षेत्र में पट्टे दिये जा सकेंगे।

स्थाई नजूल पट्टों का नवीनीकरण

नजूल के स्थाई पट्टों के नवीनीकरण किये जाने के संबंध में एक मई 2018 को जारी नये परिपत्र में नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल और सस्ता बनाया गया है। पट्टे की शर्तो के उल्लंघन के संबंध में लगाये जाने वाले अर्थदण्ड के प्रावधानों को युक्तियुक्त किया गया है। जैसे- विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने पर भूमि के बाजार मूल्य का 0.01 प्रतिशत अर्थदण्ड निर्धारित किया गया है। पट्टा अवधि में निर्माण कार्य न करने पर प्रति चूक वर्ष के लिए बाजार मूल्य के 0.05 प्रतिशत को अब मात्र 01 वर्ष के लिए देना होगा। इसी प्रकार बिना अनुमति विक्रय करने पर पूर्व की बाजार मूल्य की एक प्रतिशत राशि को घटाकर आधा प्रतिशत कर दिया गया है।

भूमि का प्रयोजन परिवर्तन करने, जैसे कि आवासीय से व्यावसायिक, पर पूर्व में भूमि के बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत राशि प्रब्याजि के रूप में देनी होती थी। अब इसे 10 गुना कम किया जाकर मात्र 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वार्षिक भू-भाटक भी इस 5 प्रतिशत राशि के आधार पर ही निर्धारित होगा।

पदों की पूर्ति

राजस्व अमले की कमी को पूरा करने के लिये 270 नायब तहसीलदारों की पदस्थापना की गयी है। वर्ष 2012 के बाद एक साथ 9325 पटवारी के पदों पर भर्ती की गयी। कलेक्ट्रेट की राजस्व शाखा में सहायक ग्रेड-3 के 561 पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जा रही है।

प्राकृतिक आपदा सहायता राशि में उल्लेखनीय वृद्धि

राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में 0 से 2 हेक ?टेयर तक के लघु और सीमान्त कृषकों को फसल क्षति के लिये राशि दिये जाने का प्रावधान वर्ष 2006 में जोड़ा गया। बारहमाही (पेरीनियल) फसल क्षति के लिये वर्ष 2013 से अनुदान राहत राशि देने का प्रावधान किया गया। एक जनवरी, 2011 में नवीन प्रावधान जोड़ते हुए सब्जी की फसल को और 3 फरवरी, 2013 से ईसबगोल की फसल को भी राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में शामिल किया गया है। सेरीकल्चर (ऐरी, शहतूत और टसर तथा मूंगा) फसल के लिये 7 मार्च 2013 को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में शामिल किया गया। फसल क्षति के लिए अधिकतम सहायता 60 हजार के स्थान पर अधिकतम एक लाख 20 हजार रुपये का प्रावधान वर्ष 2018 में किया गया है। फसल क्षति के लिए न्यूनतम सहायता राशि 2 हजार के स्थान पर 5 हजार का प्रावधान भी वर्ष 2018 में किया गया है। वर्ष 2018 से राजस्व पुस्तक 6-4 में 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति पर दी जाने वाली राशि को दोगुना करते हुए 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर किया गया है।

सिद्धी एसोसिएट
(एनफोर्समेंट एवं रिकवरी एजेंसी)
यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक,सेंट्रल बैंक, सिंडीकेट
बैंक एवं सभी सार्वजनिक बैंकों का भरोसेमंद सहयोगी
हमारे साथ आईए, बैंकों की रिकवरी पूर्ण कर बैंकों और
अपने समाज एवं देश को सुदृढ़ एवं सुरक्षित बनाईए।
बैंकों का ऋण जमा करना अब हम सबकी मजबूरी
प्रो.विजय दुबे
9039076054

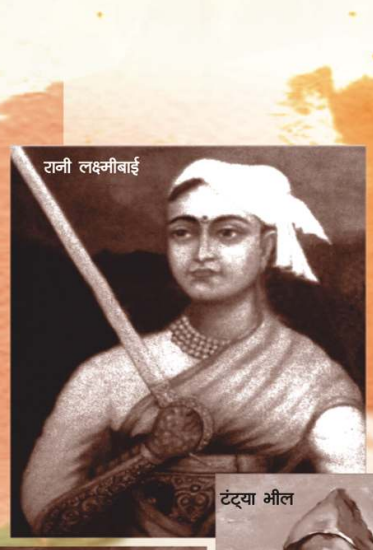

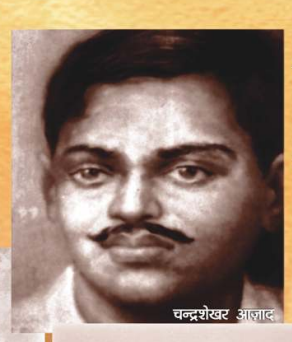

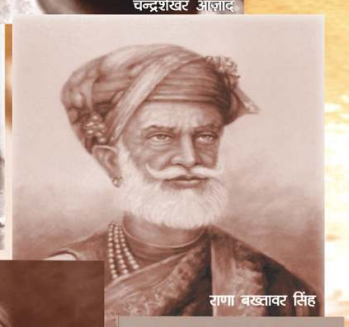

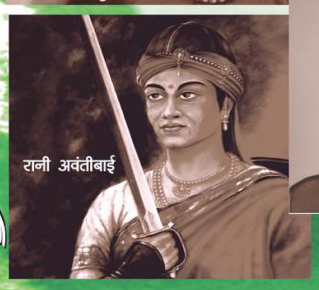

स्वत्वाधिकारी ,मुद्रक,प्रकाशक आलोक सिंघई ने सम्यक प्रिंटर्स से छापा और ऊपरी भूतल-7 अलकनंदा काम्पलेक्स जोन-1,एमपी नगर भोपाल से प्रकाशित किया।
संपादक - आलोकसिंघई फो.2555007,मोबा.-9425376322 न्याय क्षेत्र भोपाल. aloksinghai67@gmail.com सलाहकार संपादक:विपिन शर्मा,स्थानीय संपादक:संजय जैन।